दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 709/26

# महोबा पुलिस

## राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा, न्यायालय परिसर में सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण कर ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 12.09.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड़ के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय महोबा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस बल की ड्यूटी का जायजा लिया गया तथा न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, ड्यूटी प्वाइंट्स एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया गया।

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित ड्यूटी प्वाइंट पर सतर्कता एवं सजगता के साथ ड्यूटी करने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं पर विशेष निगरानी रखने तथा न्यायालय परिसर में आने वाले आमजन के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करते हुए सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस बल निरन्तर सतर्क रहकर ड्यूटी का निर्वहन करे तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

महोबा पुलिस द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समुचित पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 710/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल कुलपहाड़ थाना अजनर

## थाना अजनर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी मय हमराह का0 नरेन्द्र कुमार द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारंटों की तामीला के क्रम में 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को आज दिनांक 12.09.2026 को ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त भगवानदास राजपूत पुत्र गोविन्द दास राजपूत एवं छैलबिहारी धीमर उर्फ देवीदीन धीमर पुत्र परमा, निवासीगण ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा, धारा 323/504/506 भादवि से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उन्हें माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा के समक्ष पेश किया गया।

### गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

1. भगवानदास राजपूत पुत्र गोविन्द दास राजपूत, निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा
2. छैलबिहारी धीमर उर्फ देवीदीन धीमर पुत्र परमा, निवासी ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधामोहन त्रिवेदी, थाना अजनर जनपद महोबा
2. का0 नरेन्द्र कुमार, थाना अजनर जनपद महोबा

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 711/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

## थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को अवैध असलहा एवं जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 सनय कुमार द्वारा मय हमराह पुलिस बल के शाहपहाड़ी नहर पुलिया के पास, बहद ग्राम शाहपहाड़ी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा से अभियुक्तगण 1. मोन्टी वर्मा पुत्र रामचरन उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा एवं 2. गंगाचरण सिंह पुत्र अवध कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी लौड़ी तिगैला, कालीमाता मंदिर के पास, थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मोन्टी वर्मा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा अभियुक्त गंगाचरण सिंह के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 453/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मोन्टी वर्मा पुत्र रामचरन, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम कालीपहाड़ी, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।
2. गंगाचरण सिंह पुत्र अवध कुमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी लौड़ी तिगैला, कालीमाता मंदिर के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।

**बरामदगी-**

1. अभियुक्त मोन्टी वर्मा के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. अभियुक्त गंगाचरण सिंह के कब्जे से 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 सनय कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा
3. हे0का0 अजय कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 712/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल चरखारी थाना चरखारी

## थाना चरखारी पुलिस द्वारा घर से नाराज होकर गए 14 वर्षीय बालक को 01 घंटे में सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में गुमशुदा/लापता व्यक्तियों एवं बच्चों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में थाना चरखारी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घर से नाराज होकर गए 14 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

### घटना का संक्षिप्त विवरणः

आज दिनांक 12.09.2026 को सत्यम पुत्र श्री रामप्रकाश, निवासी मोहल्ला महावीर नगर, कस्बा चरखारी, थाना चरखारी, जनपद महोबा, उम्र करीब 14 वर्ष, अपने घर से नाराज होकर प्रातः करीब 07:00 बजे बिना बताए चला गया था। इस संबंध में बालक की माता श्रीमती सुनीता द्वारा थाना चरखारी पर समय करीब 14:10 बजे सूचना दी गई।

सूचना प्राप्त होते ही थाना चरखारी पुलिस द्वारा तत्काल बालक की तलाश हेतु प्रयास प्रारम्भ किए गए। पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बालक को मेला ग्राउंड चरखारी से सकुशल बरामद कर लिया गया। आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त बरामद बालक को उसके पिता श्री रामप्रकाश के सुपुर्द किया गया। बालक की सकुशल बरामदगी पर परिजनों द्वारा थाना चरखारी पुलिस की त्वरित कार्यवाही के लिए आभार व्यक्त किया गया।

### बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 विशाल बाजपेई, थाना चरखारी, जनपद महोबा
2. मु0आ0 महेश प्रसाद, थाना चरखारी, जनपद महोबा

महोबा पुलिस

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 714/26

# अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अर्दली रूम में विवेचनाओं की गहन समीक्षा, अपराध नियंत्रण एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु दिए सख्त निर्देश...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 12.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरूद्ध कुमार के साथ सर्किल कुलपहाड़ अन्तर्गत थाना कुलपहाड़, पनवाड़ी, महोबकंठ एवं अजनर में नियुक्त समस्त विवेचकों के साथ अर्दली रूम आयोजित किया गया।

अर्दली रूम के दौरान UP Police के SSO (Single Sign On) पोर्टल पर प्रदर्शित 60/90 दिवस से लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा करते हुए उनके त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य लंबित विवेचनाएं, शिकायती प्रार्थना पत्र, IGRS प्रकरण, पंचायतनामा जांच, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, अपहृताओं की बरामदगी, निरोधात्मक कार्यवाही, न्यायालय से निर्गत NBW की तामील, ई-समन, यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, NCRP पोर्टल एवं विभिन्न अभियानों की प्रगति का बिंदुवार परीक्षण किया गया।

इस दौरान उपस्थित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं समस्त विवेचनाधिकारियों से उनके प्रकरणों के संबंध में बिंदुवार समीक्षा करते हुए निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विवेचक अपने-अपने प्रकरणों में गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित करें तथा लंबित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, NBW की शत-प्रतिशत तामील एवं जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ एवं सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के साथ थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण न करने हेतु चेतावनी दी गई तथा व्यापारियों को अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही आमजन एवं व्यापारियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया तथा संबंधित समस्याओं के नियमानुसार समाधान हेतु आश्वस्त किया गया।

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 715/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल नगर थाना कोतवाली नगर

## थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 अभिनव सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 448/2026 धारा 318(4)/338/336(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त मुन्ना उर्फ जयराम पुत्र नाथूराम, उम्र करीब 60 वर्ष, निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना चरखारी जनपद महोबा को कीरत सागर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से तलाशी के दौरान 01 अदद आधार कार्ड एवं 01 अदद बैंक पासबुक की छायाप्रति बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त -**

मुन्ना उर्फ जयराम पुत्र नाथूराम उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम कीरतपुरा थाना चरखारी जनपद महोबा।

**बरामदगी-**

01 अदद आधार कार्ड।

01 अदद बैंक पासबुक की छायाप्रति।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 अभिनव सिंह

2.हे0कां0 मनीष कुमार

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 716/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल कुलपहाड़ - थाना पनवाड़ी

## थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अवैध शस्त्रों पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2026 को थाना पनवाड़ी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र मय हमराह कां0 रामकुमार तिवारी एवं कां0 ललित कुमार द्वारा 01 नफर अभियुक्त रुपचन्द्र पुत्र धर्मदास उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम नटर्रा पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को ग्राम फदना थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

रुपचन्द्र पुत्र धर्मदास उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम नटर्रा पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।

**बरामदगी-**

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र

2.कां0 रामकुमार तिवारी

3.कां0 ललित कुमार

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 717/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

## थाना कुलपहाड़ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र की देखरेख में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.09.2026 को थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में उ0नि0 मलखान सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 200/2026 धारा 74/115(2)/351(3)/127 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त राजनारायण पुत्र अवधेश नारायण अवस्थी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम थुरट थाना अजनर जनपद महोबा को राठौर कालोनी कस्बा बेलाताल के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 हरीशंकर यादव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 206/2026 धारा 74/75(1)/351(3) BNS व 9(m)/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अनुज कुमार पुत्र राकेश कुमार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा हाल निवासी लाडपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा को गोंदी चौराहा कस्वा कुलपहाड़ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजनारायण पुत्र अवधेश नारायण अवस्थी उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम थुरट थाना अजनर जनपद महोबा

2.अनुज कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा उम्र 24 वर्ष हालपता लाडपुर थाना कुलपहाड जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम–

**प्रथम पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 मलखान सिंह

2.कां0 अवनीश उपाध्याय

**द्वितीय पुलिस टीम-**

1.उ0नि0 हरीशंकर यादव

2.कां0 अरूण कुमार

3.कां0 प्रशान्त कुमार

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 718/26

# महोबा पुलिस

## महोबाः यूपी-112 व थाना चरखारी पुलिस की तत्परता से जंगल में रास्ता भटके बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में संचालित यूपी-112 सेवा द्वारा निरंतर त्वरित एवं प्रभावी पुलिसिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.09.2026 को राजेश पुत्र मलखान यादव निवासी ग्राम कुरौराडांग थाना चरखारी जनपद महोबा अपनी दादी के साथ खेत गया था। खेत से वापस घर आते समय रास्ता भटक जाने के कारण बालक गुम हो गया। परिजनों द्वारा बालक के संबंध में सूचना दिए जाने पर यूपी-112 की सहायता से उसकी तलाश प्रारम्भ की गई।

सूचना प्राप्त होते ही यूपी-112 एवं थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा तत्काल सक्रियता दिखाते हुए आसपास के क्षेत्र एवं जंगल में बालक की तलाश की गई। पुलिस टीम द्वारा इमिलियाडांग के जंगल से बालक राजेश को सकुशल बरामद कर लिया गया।

बरामद बालक को सकुशल उसके पिता मलखान यादव को सुपुर्द किया गया। पुलिस टीम की त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही के फलस्वरूप बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई जा सकी। परिजनों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा पुलिस टीम की तत्परता एवं मानवीय कार्यवाही की सराहना की गई।

**बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-**

1.मु0आरक्षी चंद्रिका प्रसाद – यूपी-112

2.म0आ0 गरिमा शुक्ला – यूपी-112

3.मु0आ0 महेंद्र गौतम – थाना चरखारी

4.आ0 नरेंद्र बाबू – थाना चरखारी

दिनांक- 12.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 719/26

# महोबा पुलिस

## सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

## थाना कुलपहाड़ पुलिस द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन व 2,400 रुपये बरामद...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा अवैध ऑनलाइन सट्टे की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम ने 01 नफर अभियुक्त को अवैध ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

### घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 11.09.2026 को उ0नि0 विकास तिवारी मय हमराह पुलिस बल के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील होकर देखभाल क्षेत्र एवं रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से ऑनलाइन आईडी बनवाकर अन्य सटोरियों के साथ मिलकर मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा (गेम्स ऑफ चांस) खिलवा रहा है तथा ग्राहकों की तलाश में कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन तथा ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले क्लाइंट से प्राप्त 2,400 रुपये बरामद हुए।

### गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान—

रिजवान पुत्र नसीर अहमद, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम भटेवरा खुर्द, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा, हाल पता मोहल्ला गोविन्द नगर, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा के रूप में हुई।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ पर मु0अ0सं0 212/2026 धारा 319(2)/318(4)/112 बीएनएस एवं धारा 5/9(1) The Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें प्रयासरत हैं तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### अपराध करने का तरीका—

पूछताछ के दौरान अभियुक्त से प्राप्त जानकारी एवं प्रारम्भिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा BETHUB24PRO एवं GREEN EXCHANGE नामक ऑनलाइन वेबसाइटों के माध्यम से ग्राहकों को क्लाइंट आईडी/पासवर्ड उपलब्ध कराकर ऑनलाइन सट्टा (गेम्स ऑफ चांस) खिलाया जाता था। उक्त आईडी/पासवर्ड अभियुक्त द्वारा अपने मास्टर एजेन्ट के माध्यम से प्राप्त कर ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाते थे तथा ऑनलाइन सट्टा खेलने हेतु डिजिटल क्वाइन्स प्रदान किये जाते थे।

ग्राहकों द्वारा डिजिटल क्वाइन्स के एवज में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से धनराशि का लेन-देन किया जाता था। सट्टे में ग्राहक के जीतने पर डिजिटल क्वाइन्स के बदले भारतीय मुद्रा में धनराशि का भुगतान किया जाता था। अभियुक्तगण द्वारा मास्टर एजेन्ट एवं अन्य एजेन्ट के माध्यम से आपस में समन्वय स्थापित कर व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हेतु ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

रिजवान पुत्र नसीर अहमद, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम भटेवरा खुर्द, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा, हाल पता मोहल्ला गोविन्द नगर, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा

**बरामदगी–**

01 अदद मोबाइल फोन POCO X2, रंग बैंगनी।

01 अदद मोबाइल फोन MOTO G / Motorola Edge 50।

ऑनलाइन सट्टा खिलाने के दौरान क्लाइंट से प्राप्त 2,400 रुपये नगद।

**गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम–**

1.उ0नि0 विकास तिवारी

2.का0 धीरज कनौजिया

3.का0 अनिल कुमार

4.का0 मनोज कुमार